

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक— 491 /सोनभद्र/ 33 , दिनांक, रावर्टसगंज, सितम्बर 04 ,2021
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषय— जनपद—सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग किमी0 0.000 से 46.045 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 18.5193हे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के बदले उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपके कार्यालय का पत्रांक— 1270/यू0पी0-67148-पी0एम0जी0एस0वाई0/2021 दिनांक 02.09.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक—358/सोनभद्र/33 दिनांक 13.08.2021।

जनपद—सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग किमी0 0.000 से 46.045 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 18.5193हे0 वनभूमि जिसमें से किमी0 संख्या— 0.000 से 40.150 तक 18.09हे0 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है, के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर प्रस्ताव की 5 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका परीक्षण कर इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा 13 बिन्दुओं के कमियों की निराकरण हेतु प्रस्ताव वापस किया गया था।

आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय कमियों/आपत्तियों का निराकरण आख्या के साथ संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया परन्तु निम्नलिखित कमियों/आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया :—

1. प्रस्ताव में संलग्न एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट भारत सरकार की निर्धारित प्रारूप में नहीं है और न ही जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित ही है। एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट का निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी0डी0एफ0 फाइल पांच पेनड्राइव में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
3. सचिव उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक— 1015(1)/81-2-2021-800(100)/2021 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में परियोजना में बाधित होने वाले वृक्षों हेतु Entire Tree Transplant (ETP) की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः विषयक प्रस्ताव मूल में इस आशय से वापस किया जाता है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में त्वरित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

(संजीव कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

FORM -II

(for linear projects other than Plantations) -
[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of

Office of District Collector

No.Dated.....

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of

..... (name of user agency) for
(purpose for diversion of forest land) in the district falls within the jurisdiction of.....
..... village(s) in.....
..... tehsils. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entirehectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachmentto attachment;
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)